1. In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 538/2026, dt. 17.03.2026, Rajesh Singh vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–538/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. राजेश सिंह वल्द स्व0 मौलेश्वरी सिंह उम्र करीब 36 वर्ष
ग्राम– पदुमकेर, थाना–पताही, जिला–पूर्वी चम्पारण.....आवेदक ।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री रामधनी सिंह ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

17.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त राजेश सिंह की ओर से पताही थाना कांड संख्या–30/2018, धारा–379 भा.दं.सं. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 26.01.2026 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक धर्मदेव महतो का कथन है कि वर्तमान में वह पताही प्रखण्ड अन्तर्गत नव सृजित प्रा0 वि0 परसौनी कपूर ब्रह्मस्थान में प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 26.02.2018 को बी. आर.सी. पताही में एक पोशाक छात्रवृति संबंधित मिटिंग बुलाई गयी थी, जिसमें वह भाग लेने आया था। वह अपनी मोटरसाईकिल एच.एफ. डिलक्स निबंधन संख्या– बी.आर.05सी.सी.– 5327 मिटिंग समाप्ति के बाद जब वह करीब तीन बजे अपराह्न नीचे उतरा तो देखा कि उसका मोटरसाईकिल नहीं था। काफी खोजबीन करने के बाद भी गाड़ी का पता नहीं लगा। डिक्की में विद्यालय परसौनी कपूर ब्रह्मस्थान का बैंक पासबुक, विद्यालय संबंधी अन्य अभिलेख एवं उसका व्यक्तिगत के.सी.सी. का पासबुक एवं अन्य अभिलेख था जो गाड़ी के साथ चोरी हो गया ।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा

पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध पताही थाना कांड संख्या–96/2018 एवं 88/2018 दर्ज है। इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 26.01.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उसे इस मामले में शंका के आधार पर झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है, न ही वह घटनास्थल पर गिरफ्तार हुआ है और न ही उसके पास से कोई अपराधारोपक सामग्री बरामद हुआ है। अनुसंधान के कम में आवेदक को बिना किसी जॉच के इस मामले में आरोपित किया गया है। आवेदक का इस मामले से एवं सह अभियुक्त से कोई संबंध नहीं है। आवेदक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, न ही आवेदक का संस्वीकृति बयान नहीं लिया गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है । प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है। कांड दैनिकी की कंडिका– 35 में गिरफ्तार अप्राथमिकी सह अभियुक्त टीपु सुलतान उर्फ सरफराज अंसारी का संस्वीकृति बयान अंकित है, जिसमें सह अभियुक्त द्वारा चोरी की घटना में आवेदक की संलिप्तता बताया है। पूरक कांड दैनिकी की कंडिका– 101 में आवेदक का आपराधिक इतिहास अंकित है, जिसमें आवेदक के विरूद्ध दो मामले पताही थाना कांड संख्या– 96/2018 एवं 88/2018 होना अंकित है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आवेदक दिनांक 26.01.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त राजेश सिंह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के

बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है किः–

1. आवेदक विचारण में सहयोग करेंगे।

2. जमानतदारो में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे।

3. आवेदक जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ–पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध–पत्र रद्द कर सकेगे।

4. आवेदक किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध–पत्र रद्द किया जा सकता है।

5. आवेदक जमानत से मुक्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के अन्दर इस आदेश की प्रति के साथ स्थानीय थाना के थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होगा एवं आरोप गठन होने तक हर पखवाड़े में थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएगा ।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 17.03.2026